# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला शाहपुरा

**पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई, आर0ए0एस0**

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 80/2022—वाद पत्र | 02.08.2022 | 02.07.2024 |

उनवान

श्रीमति डाली पत्नी गणपत कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा तहसील शाहपुरा
—वादी

बनाम

1— चन्ता पत्नी गोपाल जाट निवासी मोतीपुरा मजरा मुण्डेता तहसील शाहपुरा
2— मु. आशा पुत्री गोपाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चन्ता बेवा गोपाल जाट निवासी मोतीपुरा(मुण्डेता) तहसील शाहपुरा
3— तेजमल पुत्र गोपाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चन्ता बेवा गोपाल जाट निवासी मोतीपुरा(मुण्डेता) तहसील शाहपुरा
4— तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा
5— मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 शाखा एस.के. प्लाजा भीलवाड़ा
—प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री कल्याणमल धाकड़ : अभिभाषक वादिया

## वाद पत्र : बाबत् बंटवाड़ा आराजियात

## —:: निर्णय ::—

वादिया द्वारा एक वाद पत्र बाबत बटवाड़ा आराजियात का अन्तर्गत धारा 53 रा0टि0एक्ट का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :—
ग्राम मुण्डेता पटवार हल्का भोजपुर भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लुलास तहसील शाहपुरा में वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात खाता सं0 87 आराजी नम्बर 963 रकबा 1.33 है0 किस्म चाही चतुर्थ स्थित है। वाद पत्र के पेरा नं. 01 में वर्णित आराजी में वादिया का 3/4 हिस्सा निहित है और प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा निहित है। पक्षकाराना ने उक्त संयुक्त आराजी में आपसी सहमति से मौके पर मौखिक बंटवाड़ा कर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादिया अपने हिस्से की आराजी को और अधिक विकसित करना चाहती है। लेकिन संयुक्त आराजी होने से अन्य कार्य कराने में बाधा आ रही है। वादिया अनपढ होने से उक्त आराजी के खसरा नम्बर नहीं बता सकती है। वादिया अपने कब्जे अनुसार आराजी का बंटवाड़ा करा राजस्व रेकार्ड में खाता अलग कराना चाहती है। वादिया ने जून 2022 में खरीफ की फसल काश्त करने से पहले प्रतिवादीगण से राजस्व रेकार्ड में खाता अलग करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने वादिया की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा विवाद उत्पन्न करने लगी। इस कारण वादिया को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कब्जे अनुसार कराये जाने हेतु बंटवाड़ा आराजियात का वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार फरमाकर वादिया के पक्ष में व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 के विरूद्ध बंटवाड़ा आराजी की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा सं0 1 में वर्णित संयुक्त आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादिया के कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने डिक्री प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 12.10.2022 को प्रतिवदीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए किन्तु बावजूद सम्मन तामिल के प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 30.11.2022 को प्रतिवादी सं. 05 की ओर से अभिभाषक श्री गौरव पालीवाल द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जिनके द्वारा दिनांक 30.01.2023 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 10.04. 2023 तक प्रतिवादीगण सं.01 लगायत 04 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज)

उनके विरूद्ध एकरतफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 04.03.2024 को अभिभाषक वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते ड्रोप किये जाने कार्यवाही प्रतिवादी सं. 05 के प्रस्तुत किया गया। दिनांक 16.04.2024 को अभिभाषक वादिया द्वारा साक्ष्य के रूप में वादिया स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 19.06.2024 को वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2024 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 05 के विरूद्ध अभिभाषक वादिया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण ड्रोप किया गया। एवं बहस अभिभाषक वादिया की मूल वाद पर सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादिया ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड अनुसार वादिया के 3/4 हिस्से का बंटवाड़ा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं मौके पर कब्जे अनुसार कर बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया जाकर उसी अनुसार आराजियात का विभाजन कराये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं प्रकरण तथा राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। राजस्व अभिलेख प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 ग्राम मुण्डेता पटवार हल्का भोजपुर भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लुलास तहसील शाहपुरा के खाता सं. 87 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात 963 रकबा 1.3300 है0 में वादिया को 3/4 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। एवं प्रदर्शित दस्तावेज 3 अनुसार वादिया की भूमि रहन मुक्त हो चुकी है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड से वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझती हूं।

## –:: आदेश ::–

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम मुण्डेता पटवार हल्का भोजपुर भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लुलास तहसील शाहपुरा के खाता सं. 87 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात 963 रकबा 1.3300 है0 में वादिया के 3/4 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजवावें। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी होकर पालनार्थ डिक्री पर्चा प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(निरमा बिश्नोई)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

# प्राथमिक डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास निरमा बिश्नोई, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

श्रीमति डाली पत्नी गणपत कुम्हार निवासी मुण्डेता तहसील शाहपुरा तहसील शाहपुरा

–वादीगण

बनाम

1– चन्ता पत्नी गोपाल जाट निवासी मोतीपुरा मजरा मुण्डेता तहसील शाहपुरा
2– मु. आशा पुत्री गोपाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चन्ता बेवा गोपाल जाट निवासी मोतीपुरा(मुण्डेता) तहसील शाहपुरा
3– तेजमल पुत्र गोपाल जाट नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चन्ता बेवा गोपाल जाट निवासी मोतीपुरा(मुण्डेता) तहसील शाहपुरा
4– तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा
5– मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 शाखा एस.के. प्लाजा भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बंटवाड़ा आराजियात

मुकदमा नम्बर 80/2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ..................X................................ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि :–

**वाके ग्राम मुण्डेता पटवार हल्का भोजपुर भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लुलास तहसील शाहपुरा के खाता सं. 87 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात 963 रकबा 1.3300 है0 में वादिया के 3/4 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया जाता है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजवावें।**

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 2 माह 7 सन् 2024** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ★ शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा